

(☎ 022-22862703) ई-मेल/e-mail-<u>irw@dae.gov.in</u> फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 2282 4354



## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग TMENT OF ATOMIC ENERGY

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग IR&W SECTION अणुशक्ति भवन Anushakti Bhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai - 400001

सं.No. 7/16/2016/आईआरएंडडी/IR&W/9 495

जुलाई July **2** , 2017

## कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस के अधीन अस्पताल के आवास की पात्रता का पुन:वर्गीकरण। Subject : Re-classification of entitlement of Hospital accommodation under CHSS.

सीसीएस (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के अनुसार कर्मचारियों के वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप सीएचएसएस के अधीन अस्पताल के आवास की पात्रता के पुन:वर्गीकरण के मामले पर विभाग में विचार किया गया है।

Consequent on revision of pay of employees as per CCS(Revised Pay) Rules, 2016, the issue of re-classification of entitlement of Hospital accommodation under CHSS has been considered in the Department.

2. विभाग के दिनांक 26/03/2010 के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 7/8/2009/आईआरएंडडब्ल्यू/39 के अधिक्रमण में सेवारत कर्मचारियों के लिए अस्पताल के आवास की पात्रता के वर्गीकरण में संशोधन निम्नान्सार करने का निर्णय लिया गया है:

In supersession of the Department's O.M. No. 7/8/2009/IR&W/39 dated 26/03/2010, it has been decided to revise the classification of entitlement of hospital accommodation for serving employees as follows:

क्र.	वेतन वर्ग के अनुसार कर्मचारियों की श्रेणी	आवास की श्रेणी
No.	Category of employees according to pay range	Class of Accommodation
1	Pay less than ₹52,000/- ₹52,000/- से कम वेतन	कामन टायलेट/बाथरूम के साथ एक कमरे में 4 बेड 4 beds in a room with common toilet/bathroom
2	Pay of ₹52,000/- and above but below ₹1,72,000- ₹52,000/- और उससे अधिक वेतन परंतु ₹1,72,000/- से कम	अटैच्ड़ टायलेट/बाथरूम के साथ एक कमरे में 2 बेड 2 beds in a room with attached toilet/bathroom
3	₹1,72,000/- और उससे अधिक Pay of ₹1,72,000/- and above	रेफरल अस्पताल में उपलब्धता के अनुसार अटैच्ड़ टायलेट/बाथरूम के साथ सिंगल बेड का वातानुकूलित आवास Single bed AC accommodation as per availability in the referral hospital with attached toilet/bathroom

- 3. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में अगले आदेश जारी होने तक यथापूर्व स्थिति बनाए रखी जाएगी। As regards retired employees, status-quo will be maintained until further orders.
- 4. अस्पताल के आवास की पात्रता से संबंधित सभी अन्य उपबंध दिनांक 22/01/1998 के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 7/55/94/सीएचएसएस/आईआरएंडडब्ल्यू/37 के द्वारा परिचालित सीएचएसएस के अनुलग्नक I में यथादर्शाये गए हैं।

All other provisions regarding entitlement of Hospital accommodation are as indicated in Annexure I of CHSS circulated vide OM No. 7/55/94/CHSS/IR&W/37 dated 22/01/1998.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg) निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

## सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी All CHSS Administering Authorities:

- (1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
- (2) निदेशक, आईजीकार, कल्पाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
- (3) निदेशक, जीएसओ, कल्पाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
- (4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
- (5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
- (6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
- (7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur
- (8) निदेशक, एएमडी, हैदरबाद Director, AMD
- (9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCAT
- (10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC
- (11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL
- (12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
- (13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कल्पाक्कम Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

## प्रतिलिपि Copy to:

- (1) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
- (2) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE
- (3) संयुक्त सचिव (एएंडए), पऊवि के प्रधान निजी सचिव PPS to Joint Secretary (A&A), DAE
- (4) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
- (5) अवर सचिव (प्रशासन), पऊवि US(Adm), DAE
- (6) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
- (7) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE